संoसंo : 3/एम –13 (विविध)–02/2002.....2337/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :...03/08/23

संकल्प

विषय : संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने के संबंध में।

संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 4569/वि०, दिनांक 05.07.2002 निर्गत है। उक्त परिपत्र की कंडिका 1 के अनुसार –

(ख) अपवादित परिस्थिति में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए ही प्रथम चरण में संविदा पर नियुक्ति की जाय और यह नियुक्ति ऐसे ही पदों पर की जाय ,जिसमें प्रशासी पदवर्ग समिति ने विशिष्ट रूप से संविदा पर रखने की अनुशंसा की है या जिसमें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ऐसी नियुक्ति करने में प्राप्त हो गया है ।

साथ ही उक्त परिपत्र के कंडिका–3(सी) में संविदा कर्मियों को देय अवकाश के संबंध में निम्न प्रावधान अंकित हैं :–

"संविदा पर नियुक्ति कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिये राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।"

2. W.P.(S) No. 4197/2021 मोनिका बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश में W.P.(S) No. 2766/2018 प्रियंका कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के सदृश वादी मोनिका, महिला पर्यवेक्षिका (संविदा) बाल विकास परियोजना कार्यालय, देवीपुर प्रतिनियुक्ति जिला समाज कल्याण कार्यालय, देवघर को मातृत्व अवकाश का भुगतान करने का न्यायादेश पारित किया गया है।

3. W.P.(S) No. 2963/2020 रश्मि भारती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं उपायुक्त, गोड्डा को उच्चतम न्यायालय द्वारा Municipal Corporation of Delhi Versus Female workers (Musters Roll) & Ors. में पारित न्यायादेश के आलोक में वादी को Maternity Benefits Act, 1961 के तहत मातृत्व लाभ की अनुमान्यता पर विशिष्ट शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है।

4. विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यरत महिला संविदा कर्मियों द्वारा समय–समय पर वित्त विभाग को Maternity Benefits Act, 1961 के आलोक में मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 4011 दिनांक 18.08.2020 द्वारा राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवाशर्त्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। सम्प्रति समिति की अनुशंसा अप्राप्त है।

6. झारखण्ड राज्य सरकार के कर्मियों का मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं० 551 दिनांक 01.03.2007 (यथा संशोधित) निर्गत है ,जिसमें मातृत्व छुट्टी (Maternity Leave) से संबंधित पात्रता एवं छुट्टी की अवधि का प्रावधान है । वर्तमान में केन्द्रीय कर्मियों को प्रदत्त मातृत्व अवकाश के अनुरूप झारखण्ड राज्य के महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 180 दिन अनुमान्य है ।

7. झारखण्ड राज्य के अन्य पड़ोसी राज्यों में संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमान्यता का प्रावधान है।

8. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय अधिनियम– Maternity Benefits Act, 1961 , माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश तथा झारखण्ड राज्य के पड़ोसी राज्यों में संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमान्यता से संबंधित प्रभावी प्रावधान के दृष्टिपथ में, संविदा पर नियुक्त एवं नियमित रूप से कार्यरत महिला कर्मियों को निम्नरूपेण मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) जो महिला कर्मी पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।

(ii) यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

(iii) मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 440/वि० दिनांक 09.02.2023 के क्रम में दिनांक 25.07.2023 की बैठक के मद सं० 06 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21/8/23

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 3/एम –13 (विविध)–02/2002-2337/राँची, दिनांक 23/08/23

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/23

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 3/एम –13 (विविध)–02/2002-2337/राँची, दिनांक 23/08/23

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, पी॰एम॰यू॰ कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/23

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 3/एम –13 (विविध)–02/2002-2337/राँची, दिनांक 23/08/23

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त, प्रशाखा–12 को सूचना उपलब्ध करावें।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।